

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3450/2018/सीहोर/भू.रा. विरुद्ध आदेश दिनांक 19.04.2018 पारित
द्वारा राजस्व निरीक्षक, मण्डल-1, जिला सीहोर प्रकरण क्रमांक 67/अ-12/17-18.

संजय माहेश्वरी पुत्र श्री रामचन्द्र महेश्वरी
निवासी ग्राम बायां, तहसील रेहटी,
जिला सीहोर, म.प्र.

.....आवेदक

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा
राजस्व निरीक्षक, मण्डल-1, रेहटी
2. प्रमिला पत्नी श्री धुवनारायण मिश्रा
3. दीपक पुत्र श्री धुवनारायण मिश्रा
4. आशीष पुत्र श्री धुवनारायण मिश्रा
निवासी पटवारी कॉलोनी, महेन्द्रा ट्रेक्टर
शोरूम गली, बावई रोड, होशंगाबाद
5. सीताराम पुत्र श्री घुडूसिंह जादम
6. घनश्याम पुत्र श्री घासीराम जादम
निवासी ग्राम बायां, तह. रेहटी,
जिला सीहोर, म.प्र.
7. पुजारीबाई पत्नी श्री भगवानदास सिंधी
निवासी बुधनी, तहसील बुधनी,
जिला सीहोर, म.प्र.

.....अनावेदकगण

श्री मेहरवान सिंह, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/4/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, मण्डल-1, जिला सीहोर द्वारा पारित दिनांक 19.04.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक संजय महेश्वरी पिता रामचन्द्र महेश्वरी द्वारा राजस्व निरीक्षक, रेहटी के समक्ष ग्राम बीवदा स्थित भूमि खसरा नं. 57/3 रकबा 2.713 हैक्टेयर का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्र. 67/अ-12/17-18 दर्ज कर प.ह.नं. 27, ग्राम बीवदा को आवेदित भूमि के पड़ोसी कृषकों को सूचना पत्र देकर दो सप्ताह में विधिवत रूप से सीमांकन कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को दिनांक 12.12.2017 को आदेशित किया गया, राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 10.04.2018 को बगैर स्थायी सीमा चिन्हों के क्षतिग्रस्त चांदा से त्रुटिपूर्ण बिना बटान तरमीमके (अपूर्ण) नक्शे द्वारा शासकीय भूमि क्र. 57/2 एवं 57/4 जिसका कि मुआवजा आवेदक प्राप्त कर चुका है, को भी आवेदक की भूमि बताते हुए जिलाध्यक्ष के स्पष्ट दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए तथाकथित अवैध सीमांकन द्वारा आवेदक का पड़ोसी कृषक श्रीमती प्रमिला के खसरा नं. 56 के अंश भाग रकबा 1.59 एकड़ पर अवैध कब्जा बताते हुए आवेदित भूमि के सम्पूर्ण भाग पर आवेदक का होना बताते हुए अपने आदेश दिनांक 19.04.2018 द्वारा हल्का पटवारी ग्राम बीवदा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 10.04.2018 को आवेदित प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन पूर्ण हो जाना मान्य कर आदेश पारित किया गया। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के इस बिंदु को दरकिनार करते हुए कि सीमांकन स्थायी सीमा चिन्ह से ही राजस्व निरीक्षक, पटवारी द्वारा सीमांकन की कार्यवाही संपादित की जा सकती है, न कि स्थायी सीमा चिन्ह को छोड़कर, त्रुटिपूर्ण नक्शे द्वारा निशानात कायम कर चतुर्थ सीमाएं कायम की जा सकती हैं, ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यहां यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि आवेदक द्वारा सीमांकन के समय यह आपत्ति ली गई थी कि शासकीय भूमि जिसका कि मैं मुआवजा भी ले चुका हूँ, को छोड़कर

मेरी भूमि का सीमांकन कीजिये, के बावजूद भी मेरी आपत्ति को दरकिनार करते हुए राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा तथाकथित सीमांकन किया जाकर वाद बहुलता को बढ़ावा दिया गया है, ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) आवेदक द्वारा प्रमाणित अधिकार अभिलेख नक्शा एवं अक्स का अवलोकन कराते हुए आपके रिकार्ड अर्थात् नक्शा एवं नक्शे में शासकीय भूमि का न तो कोई तरमीम है, और न ही कोई उल्लेख, कहीं आवेदक का खसरा क्र. कुछ है तो कहीं कुछ, ऐसी स्थिति में आपका सम्पूर्ण रिकार्ड त्रुटिपूर्ण है, जब तक आपका रिकार्ड दुरुस्त नहीं होता, तब तक आपका सीमांकन किया जाना संभव नहीं है, के बावजूद भी आपत्ति को नजर अंदाज करते हुए प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण मान्य किये जाने में गंभीर त्रुटि की है, ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) यहां यह उल्लेख किया जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि त्रुटिपूर्ण रिकार्ड के आधार पर ही प्र. क्र. 30/अ-12/13-14 द्वारा पड़ोसी कृषक के खसरा क्र. 56 के अंश भाग पर आवेदक का अप्राधिकृत कब्जा बता दिया गया था, जिससे पड़ोसी कृषकों में विवाद है एवं उस त्रुटिपूर्ण सीमांकन पर आधारित संहिता की धारा 250 की अपील प्र. क्र. 62/अपील/17-18 दर्ज होकर आज भी आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के न्यायालय में लंबित है।


अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.04.2018 एवं सीमांकन दिनांक 10.04.2018 निरस्त कर कथित विधि विरुद्ध सीमांकन को शून्य घोषित किये जाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।


4/ अनावेदक पक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 10.04.2018 को ग्राम बीवद के आवेदक कृषक की प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन संबंधित कृषकों को सूचना देकर संबंधित कृषक की उपस्थिति में सीमांकन ख.नं. 58/3 में स्थित क्षतिग्रस्त चांदा से किया गया सीमांकन के पश्चात् संबंधित कृषकों को खूटिया गाड़कर दिखाते हुए विधिवत् सीमांकन किया गया, जिसमें आवेदक का पड़ोसी कृषक श्रीमती प्रमिला के ख.नं. 56 के अंश भाग रकबा 1.59 एकड़ पर अवैध कब्जा पाया गया, आवेदित भूमि के संपूर्ण भाग पर आवेदकगण का कब्जा होना पाया गया है। प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन आवेदक ने स्वयं कराया है, उक्त सीमांकन पंचनामे पर आवेदक के हस्ताक्षर भी हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक

की उपस्थिति में विधिवत सीमांकन कर आदेश पारित किया गया है। अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होकर स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, मंडल-1, जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।


सं. 51


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर